OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) TELANGANA, HYDERABAD

No.AG (AUDIT)/Bills-II/LTC/2023-24/TENO.16.

Date: 24.04.2023

CIRCULAR

Sub:- Modification of instructions regarding Booking of Air tickets on Government account-Reg

Ref:- C&AG Circular no.10 No.72-Staff Entt(Rules)/A.R/01-2022 dated 17.03.2023

Vide Headquarters Circular dated 17.03.2023, the following instructions are to be followed while booking the Air tickets on LTC and Tour:

- (1) The Officials has to submit the screenshot of all the available flights on the day of journey.
- (2) The Officials has to book the tickets 15 days prior to the intended date of journey or on approval of the tour programme in case of tour and on approval of the leave by the competent authority in LTC whichever is later.
- (3) Bookings less than 72 hours of the intended journey in case of LTC is not allowed, however, in case of cancellations within less than 72hours, a self-declared justification by the employee is necessary. Whereas, in tour only the cases where the bookings/cancellation within less than 72 hours of the intended journey is made due to the administrative reasons are only exempted from self-declared justification by the Employee.

This issues with the approval of Competent Authority.

Senior Audit Officer/Bills.

Sommer y 10013

महालेखाकर (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

तेलंगाना, हैदराबाद

सं. म.ले.(ले.प)/बिल्स-॥/एलटीसी/2023-24/७८ २०० . 16

दिनांक-24.04.2023

परिपत्र

विषय- सरकारी खाते पर हवाई टिकट की बुकिंग के संबंध में निर्देशों में संशोधन - से संबंधित। संदर्भ- सीएजी परिपत्र संख्या-72-स्टाफ हक. (नियम)/ए.आर/01-2022 दिनांक-17.03.2023

मुख्यालय परिपत्र दिनांक 17.03.2023 के अनुसार एलटीसी और दौरे पर जाने के लिए हवाई टिकट बुक करते समय निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना है-

- 1. यात्रा के दिन सभी उपलब्ध उड़ानों का स्क्रीनशॉट, अधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा।
- 2. अधिकारियों को दौरे के मामले में, यात्रा की इच्छित तिथि से 15 दिन पहले या दौरा कार्यक्रम की मंजूरी के बाद, जो भी पहले हो और एलटीसी के मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा छुट्टी के अनुमोदन के पश्चात ही टिकट बुक करना होगा।
- 3. एलटीसी के मामले में इच्छित यात्रा के 72 घंटे से कम समय की बुकिंग की अनुमित नहीं है। हालांकि 72 घंटे से कम समय में रद्दीकरण के मामले में, कर्मचारी द्वारा स्वधोषित कारण प्रस्तुत करना आवश्यक है। जबिक, दौरे के केवल उन मामलों में, जहां प्रशासनिक कारणों से इच्छित यात्रा के 72 घंटे से कम समय के भीतर बुकिंग/रद्दीकरण किया जाता है, कर्मचारी द्वारा स्वयं घोषित कारण प्रस्तुत करने की छूट है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी हुआ है।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/बिल्स

प्रति,

समस्त अनुभाग/हिन्दी अनुभाग/सूचना पट्ट